# DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

PART IV

# DEVELOPMENT DEPARTMENT

# (DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)

### NOTIFICATION

### Delhi, the 7th February, 2005

No. F. 8/30/2002/DAM/MR/443.—In exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (2) of Section 117 read with the section 76 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act 7 of 1999) and all other powers enabling it, the following regulations called "the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations. 2004" made by the Delhi Agricultural Marketing Board, with the previous approval of the Government, are hereby notified.

### "THE DELHI AGRICULTURAL MARKETING SERVICE **REGULATIONS, 2004**

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations, 2004.
  - (2) They shall come into force from the date of their notification.
  - 2. Application.—(1) These regulations shall apply to.—
    - (a) the holders of all posts, whether temporary or permanent, under the Board and all the Marketing Committees constituted under the Act, except to the extent otherwise expressly provided in these regulations;
    - (b) an officer and employee whose services are lent to the Board and Marketing Committee from the Government. Central Government, and other statutory bodies, or public sector undertaking. on transfer on deputation.
  - (2) Nothing in these regulations shall apply to.-
    - (i) a person who is not in whole time employment;
    - (ii) a person engaged on daily wages;
    - (iii) a person engaged on contract;
    - (iv) a person employed occasionally or subject to discharge without notice who is engaged for specific purpose;
    - (v) such other categories of person as may be specified by the Board from time to time by regulations.
    - (3) The Board shall be the authority competent to interpret these regulations and decision of the Board shall be final and binding, provided that such decision regarding interpretation is not inconsistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder.
    - (4) The Board may, by notification with the previous approval of Government, exempt wholly or in part, from the operation of these regulations, holder of any post or holders of any class or category of posts.
  - 3. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires.—
    - (a) "Act" means the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulations) Act, 1998 (Delhi Act 7 of
    - (b) "appointing authority" means the Vice-Chairman in terms of Section 18 of the Act or any other officer authroized by him;

"Board" means the Delhi Agricultural Marketing Board constituted under Section 3 of the Act;

turn flow (d) - "category of posts" means the category of posts in each functional branch of the Marketing Service (Gevi. of NCT of Constituted under regulation 4 of these regulations as specified in Schedule A;

anak Puri, New Delhi(e) O "competent authority" means the Chief Executive Officer/Vice-Chairman of the Board

Janak Puri, New Delhi-110056

#### GOVERNMENT OF INDIA



#### असाधारण EXTRAORDINARY

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940 No. 32] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 736

[N.C.T.D. No. 736

भाग—IV PART—IV

### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### शहरी विकास विभाग

#### अधिसचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सं. फा. 16(502)/श.वि./जल/2015/278.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पिटत धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिनांक 7 जुलाई 2017 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 06 सितम्बर, 2017 के पत्र सं. फा. 3/24(8)/2015—आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तथा दिनांक 11 अगस्त 2005 की अधिसूचना सं. फा. 16(7)/यूडी/जल/2003/7459 के अनुसार अधिसूचित सहायक अभियन्ता (सिविल) के भर्ती तथा पदोन्नित विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद की भर्ती पद्धित संबंधि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **सहायक अभियन्ता (सिविल)** के पद के भर्ती विनियम, 2018 कहा जाये।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या

1107 DG /2019 (1)

(ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. बचाव :— इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### ''अनूसूची''

1.	पदनाम	:	सहायक अभियन्ता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	:	332* (2018)
			इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी ''ख''
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर — 7 (44900—142400 / —रुपये
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीघी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं  नोट 1:— केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय ।  नोट 2:— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	अनिवार्य :
	तथा अन्य योग्यताऍ		(1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री नोट 1:— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष नोट — 1 परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के भाग के रूप में पद के कर्तव्यों / दायित्व के क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यथा इच्छित तथा प्रायोजित एक माह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(1). 73 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित (2) 27 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नितः— ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सिहत वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले किनष्ठ अभियन्ता (सिविल )।

			टीप 1:— जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ट अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने
			आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्धसरकारी या सांवधिक या स्वायत्त संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:—
			क. (1) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष , तथा (ख) कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालो के लिए शैक्षणिक
			योग्यता रखने वाले:— टीप 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
			टीप 2: कंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अविध भी सिम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति /स्थायीकरण पर विचारार्थ)  1. सदस्य (प्रशा.) दिल्ली जल बोर्ड—अध्यक्ष  2. निदेशक (ए एण्ड पी), दिल्ली जल बोर्ड — सदस्य  3. सहायक आयुक्त (जल) दिल्ली जल बोर्ड — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चन्द्रशेखर, उप सचिव (जल)

#### URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 18th February, 2019

**No.F.No.16(502)/UD/W/2015/278.**—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 7<sup>th</sup> July, 2017 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No.3/24(8)/2015-RR dated the 6<sup>th</sup> September, 2017 and in supersession of the Assistant Engineer (Civil) recruitment and promotion regulations

notified vide notification F.16/(7)/UD/W/2003/7459 dated the 11<sup>th</sup> August, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

- **1. Short title and commencement -** These regulations may be called the Assistant Engineer (Civil) in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2018.
- 2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix The number of posts, their classification Level in the Pay Matrix and attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4 **Disqualification** No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a
  - spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any parsons from the operation for this regulation.

- **5. Power to relax** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving -** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name Of The Post.	No. Of Post.	Classification.	Level In The Pay Matrix	Whether Selection Or Non- Selection Post .	Age Limit For Direct Recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Assistant Engineer (Civil)	332* (2018) Subject To Variation Dependent On Workload.	Category 'B'	Level-7 (Rs.44900- 142400/-).	Selection.	Not Exceeding 30 Years.  (Relaxable For Government Servants And Employees Of The Delhi Jal Board Upto Five Years In Accordance With The Instructions Or Orders Issued By The Central Government.  Note: The Crucial Date For Determining The Age Limit Shall Be The Closing Date For Receipt Of Applications From Candidates In India (And Not The Closing Date Prescribed For Those In Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division Of J&K State Lahaul & Spiti District And Pangi Sub-Division Of Chamba District Of Himachal Pardesh, Andaman & Nicobar Islands

Name Of The Post.	No. Of Post.	Classification.	Level In The Pay Matrix	Whether Selection Or Non- Selection Post .	Age Limit For Direct Recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Or Lakshadweep).

Educational & Other Qualification Required For Direct Recruits.	Whether Age And Educational Qualification Prescribed For Direct Recruits Will Apply In The Case Of Promotees.	Period Of Probation, If Any.	Method Of Recruitment Whether By Direct Recruitment, Or By Promotion Or By Deputation/ Absorption And Percentage Of The Vacancies To Be Filled By Various Methods.
7.	8.	9.	10.
Essential:  (i) Degree In Civil Engineering From A Recognized University.  Note1:  Qualifications Are Relaxable At The Discretion Of The Competent Authority, For Reasons To Be Recorded In Witting, In The Case Of Candidates Otherwise Well Qualified.	Not Applicable.	2 Years For Direct Recruits.  Note: Mandatory Induction Training Of One Month As Devised And Sponsored By Delhi Jal Board In The Field Of Duties/Responsibilities Of The Post As Part Of Successful Completion Of Probation.	<ul> <li>(I) 73% By Promotion, Failing Which By Deputation Including Short Term Contract.</li> <li>(II) 27% By Direct Recruitment.</li> </ul>

In Case Of Recruitment By Promotion/	If A Dpc Exists, What Is Its Composition.	Circumstances In Which
Deputation/Absorption, Grades From Which	<u>.</u>	Upsc Is To Be Consulted In
Promotion/ Deputation/ Absorption To Be		Making
Made.		Recruitment.
11	12	13
Promotion:  Junior Engineer (Civil) In Level 6 In The Pay Matrix With 5 Years Regular Service In The Grade And Have Undergone One Week's Training In The Engeering Matter From Delhi Jal Board Training Institute.	Composition Of Group 'B' Dpc (For Considering For Promotion/ Confirmation) Consisting Of:  1. Member (Admn.)Djb- Chairman 2. Director(A&P)Djb - Member 3. Asstt. Comm. (W) Djb - Member	Consultation With Upsc Not Necessary.
Note:		
Where Juniors Who Have Completed Their Qualifying/ Eligibility Service Are Being Considered For Promotion, Their Seniors Would Also Be Considered Provided They Are Not Short Of The Requisite Qualifying/Eligibility Service By More Than Half Of Such Qualifying/Eligibility Service, Or Two Years, Whichever Is Less, And Have Successfully Completed Their Probation Period For Promotion To The Next Higher Grade Along-With Their Junior Who Have Already Completed Such Qualifying/Eligibility Service.		
Deputation(Including Short Term Contract):-		
Officers Under The Central/State Govts./Union Territories/Public Sector Undertakings /Semi- Governments/ Statutory Or Autonomous Organizations:-		
A)(I) Holding Analogous Post On Regular Basis In The Parent Cadre/ Department: Or		
(li) With 5 Years Regular Service In The Grade Rendered After Appointment Thereto On A Regular Basis In Level 6 In The Pay Matrix Or Equivalent In The Parent Cadre/Department; And		

In Case Of Recruitment By Promotion/ Deputation/Absorption, Grades From Which Promotion/ Deputation/ Absorption To Be Made.	If A Dpc Exists, What Is Its Composition.	Circumstances In Which Upsc Is To Be Consulted In Making Recruitment.
11	12	13
(B) Possessing The Educational Qualification Prescribed For Direct Recruits Under Column 7.  Note 1: The Departmental Officers In The Feeder Category Who Are In The Direct Line Of Promotion Will Not Be Eligible For Consideration For Appointment On Deputation(Istc). Similarly, Deputationists Shall Not Be Eligible For Consideration For Appointment By Promotion.		
Note 2: Period Of Deputation(Istc) Including Period Of Deputation(Istc) In Another Ex-Cadre Post Held Immediately Preceding This Appointment In The Same Or Some Other Organization/ Department Of The Central Government Shall Ordinarily Not To Exceed Three Years. The Maximum Age Limit For Appointment By Deputation (Istc) Shall Be Not Exceeding 56 Years As On The Closing Date Of The Receipt Of Applications.		

By Order and in the name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi., CHANDRA SHEKHAR, Dy. Secy.

ALOK Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.25 13:58:36 +05'30'

#### NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 1979

N. F.9/37/78-LSG—The following regulations made by the Municipal Corporation of Delhi under Section 93 of the M.C.D. Act, 1957 vide their Resolution No. 317, dated 12-7-1978, in connection with the recruitment for the post of (i) Asstt. Engineer (Civil); (ii) Asstt. Engineer (Elect.) Municipal Corporation of Delhi, having been approved by the Lt. Governor, Delhi in pursuance of the provisions of Sub-Section (2) of Section 480 of the said Act, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 3/6/66-Delhi, dated 19-10-1966, are hereby published in the schedule below:-

#### SCHEDULE

Recruitment Regulations for the post of (i) Asstt. Engineer (Civil) (li) Asstt. Engineer (Elect.)

1. Name of the post:

2. No. of posts:

3. Classification:

4. Scale:

5. Whether selection post or non-selection post:

6. Age limit for direct recruit:

7. Educational and other qualifications required for direct recruits:

8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion:

9. Period of probation, if any:

10. Method of rectt, whether by direct recruitment or by promotions/or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods:

11. In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made:

12. If a D.P.C. exists, what is its composition:

13. Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.:

Asstt. Engineer (Civil).

81.

Class-II.

Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-

Selection

Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants and the employees of the M.C.D.)

Essential:

(i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent;

(ii) 2 years professional experience.

E.Q.-Yes, to the extent indicated in Col. 11.

2 years.

50% by promotions, failing which by direct recruitment and failing both by transfer on deputatou transfer and 50% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation/transfer.

Promotion:

Jr. Engineer (Civil) with 3 years regular service in th grade in the case of those possessing a degree i Civil Engineering or equivalent qualification and 3 years' regular service in the grade in the case of those possessing a Diploma in Civil Engineering.

Transfer on deputation/transfer:

Officers holding analogous posts in the Central State Government Engineering Cadres.

(Periof of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

D.P.C. will be constituted as per rules.

Consultation not necessary unless it is intended to relax, at any time, the promotions of the recruitment rules.

MINUTES OF THE MEETING OF THE SUB COMMITTEE HELD ON 13.6.90 TO REVIEW THE RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSTT. ENGINEE (CIVIL) NDMC, NEW DELHI.

On the demand of the Jr. Engineers Association for fixin some quota for departmental promition of graduate Jr. Engineer (Civil) working in NDMC the Sub Committee consideral their demand in its meeting held on 13.6.90 under orders of the Administrator. The minutes of the Sub Committee are appeaded (See page 7

Administrator has seen and approved and minutes on 26.6. The case is laid before the Committee for information.

COMMITTEE'S DESISTON

Information noted.

For Secretary

New Delhi Municipal Committee

New Delhi.

True Copy

MINUTES OF THE MEETING OF THE SUB-COMMITTEE HELD ON 13,6,90 TO REVIEW THE RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSET, ENGINEER (CIVIL), NDMC, NEW DELHI.

### PRESENT:

Sh. G.S. Patnaik, Secretary (In chair)

Smt. Rama Murali, FA

2 :. Sh. S.S.K. Bhagat, C.E. (Civil)

3. Sh. G.S. Chaturvedi, Director (P) 4.

The Junior Engineers Association has been raising a demand again and again that out of 75% Departments. Promotion Quota of AE(Civil) meant for Jr. Engineers (Civil) working it NOMC, 25% quota should be rederied for diaduate of Magineers The Administrator, NDMC during one of the mosting with the said Association ordered this issue to be examined in detail by the Officers' Committee.

The Sub Committee examined the RRs for the post of A.E. (Civil) in NDMC as well as in MCD and DDA. The main features of the RRs in different institutions are as under:-

### In NDMC :

25% from director a servitiment and Too dependental promotion from dr. Englicora working in Mark. Adalust outside

### In MCD :

50% direct recruitment and 50% promotion from amongst Jr. Engineers (Civil), I jainst putside quota only Graduate engineers are eligible.

### In DDA:

Direct recruitment 50% and promotion from Jr. Engineer (Civil) 50%. Out of departmental quota 50% on the promotic is reserved for Graduate Gr. Engineers with 3 years service and 50% from amongst Diploma holders with 3 years service. Against direct recruitment only Graduate are eligible.

After detailed consideration and discussion the Sub-Committee recommends that out of 75% departmental quota f the promotion of Jr. Engineers to the post of Asst: Engir (Civil), 25% quota be reserved for departmental Graduate The proposus revised Recruitment Reles are Jr. Engineers. appunded (Sou page

sd/-(G.S. Chaturwodi) DIR.(P)

sd/-(Rama Murali) F.A.

sd/-(S.S.K. Bhagat) C.E. (C)

> Sd/-(G.S. Patnaik) secretary

(-01

## PRAFT RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (CIVI

- 1. Name of Post
- 2. No. of Posts
- 3. Classification
- 4. Scale of Pay
- 5. Whather selection or non-selection post.
- 6. Age limit for Direct recruitment
- 7. Educational & Other Qualification for :
  - a) Direct Recruitment 25 posts.
- b) Departmental
  Recruitment
  (75% post out of which 50%
  of posts for Diploma holders
  25% for Graduate JE(C),

- 8. Whether age prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotions.
- 9. Period of probation, if any.
- 10. Method of recruitment: Whether by direct or by promotion or deputation/transfer. No. of vacancies to be filled by various methods.
- 11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
- 12. If a DPC exists what is its composition.
- 13. REMARKS

- : Assistant Engineer (Civil)
- : Class II
- : Ps. 2000-3500
- .: Selection
  - : 18-30 years for outside and condidate against direct recrui ment. For departmental candidates applying against the dimerecruitment there will be no age-limit.
  - Univ. Graduate Civil Engg. from any recognised Institution or passed Section A & B examination of Institution of Engineers(Indwith B years experience/service
  - : 1. Tiploma Holder JE(C) with gyrs, service in the grad
  - 2. University Graduate JE(C) with 4 years service in the grade.
  - 3. Jr. Engineer(C) who while in service pass section A & B of Institution of Engineers (India) or Graduate in Civil Engg. from any recognised Institution with 3 yrs. service from the date of passing Sec. A & B of AMIE or Graduation in Civil Engg. or 5 yrs. service whichever is more beneficial to the Officer.
  - : No.
  - : 2 years.

75% by promotion from JE(C)(50% Diploma holders and 25% Graduat failing which by deputation and failing both by direct recruitment). 25% by direct recruitment

- : As prescribed by the Committe from time to time.
- : They will have to qualify a departmental examination in Accounts before becoming eligit for grant of increment.





प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY सापाठिक

#### WEEKLY

सं. 9] No.9] दिल्ली, जून 25—जुलाई 1, 200:, बृहस्पतिवार/आपाइ 4—आपाइ 10, 1926 DELHI,JUNE 25—JULY 1, 2004, THURSDAY/ASADHA 4—ASADHA 10, 1926 [ रा.रा.क्षे.दि. सं. 151 ] [N.C.T.D. No. 151] TIF

50

HIII—III PART—III

विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं Notifications of Statutory Local Bodies

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिस्टी, 1 जुलाई, 2004

सं. 19(4)/2004/श.चि./दि.न.नि./4506.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की थारा 98 के अन्तर्गत सहायक अभिग्रंता निर्माण) सिविला दिल्ली नगर निगम के पद की भर्ती हेत्र निर्णय/प्रस्ताव कमांक 671 दिनांक 12,01,2004 के अनुसार दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाये गये निम्नलिखित विनियमों को भारत सरकार गृहमंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3-6-66 दिल्ली दिनांक 19-10-1966 के साथ गठित तथा उपरोचत अधिनियम की धास 480 की उपधारा (2) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में उपराज्यपाल, संध राज्य क्षेत्र द्वारा अनुगोदित किये जाने के बाद एत्त द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में प्रकाशित किये जातें हैं :-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः -(१) ये विनियम सहायक अभियंता [निर्माण], दिल्ली नगर निगम(2004) के पद के लिये भर्ती विनियम.
- ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित छोने की तिथि से लागू होगें।
- पर्दों की संख्या, वर्गीकरण एवं चेतनमान :- उथत पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इस पद के साथ सम्बद्ध चेतनमान, जैसा कि संलञ्ज अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार होंगे।

2030 DG/2004

;71

- 3. भर्ती की विधि, आयु सीमा तथा अन्य अर्धताएं आदि : उवत पद की भर्ती विधि, आयु सीमा, अर्धताएं तथा अन्य सम्बन्धित मामलें उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।
- 4. अनर्हताएं : कोई भी ऐसा व्यवितः -र्षः] जो किसी ऐसे व्यवित से जिसका पति / पत्नी जीवित हों, दूसरा विवाह कर ले अथवा विवाह के लिये अनुबद्ध हो जायेय \अथवा

[छा] जो अपनी पितन /पीत के जीवित होते हुये किसी स्त्री /पुरूष के साथ दूसरा विवाह कर ले अथवा अनुबद्ध हो जाये, को पद नियुवित के लिये अयोग्य पत्र समझा जायेगा।

परन्तु, दिल्ली नगर निगमे यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कोलून के अनीगत उपत विवाह असूमत है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति की इस नियम के लागू होने से निमुच्त कर सकता है।

- 5. छूट देने का अधिकार :-यदि दिल्ली नगर निगम के विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा रामयोचित हो तो वह अपने आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण बनाते हुये और संघ ,, लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के विशेष वर्ग से संबंधित इन नियमों की किसी भी व्यवस्था में छूट दे सकता है ।
- 10. किन्तु : -इन विनियमों की कोई भी व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सेनिकों तथा व्यक्तिओं के अन्य विशेष वर्गों के लिये आयु सीमा का आरक्षण तथा अन्य दी जाने वाली रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी ।
- 11. रदद करना :- इस सरकार की अधिसूचना संख्या F.9/37/78-LSG दिनांक 21 अगस्त 1979 सहायक अभियंता [निर्माण], रितिय, दिल्ली नगर निगम के भर्ती नियमों से संबंधित को एतत्वास इस अधिसूचना के नारी होने की तिथि से स्वद किए नाते हैं।

#### CONDYON

# · दिल्ली नगर निगम में रू० 6500-200-10500/- के वेतनमान में सहायक अभियंता[नर्माण] सिविल के पद के लिये भर्ती विनियम।

कम संo	स्तंम	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत विनियम
1.	पद का नाम	सहायक अभियंता (निर्माण) सिविल
2.	पदों की संख्वा	260 (2003)* कार्यमार में मिन्तता की थर्त पर निर्मर।
3.	वर्गीकरन	वर्ग 'बी'
4.	वेतनम्मन	₹50 6500-200-10500 /-
5.	क्या चवनित या गैर क्यनित पद है?	चयन
6.	सीबी मती के लियें आयु सीमा।	30 वर्ष से अधिक नहीं। <u>नोटः</u> सरकारी कर्मचारियों और दि.न.नि. के कर्मचारियों के क्रिंग सरकार द्वारा जारी आदेथ और निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष की छूट।

	*	नोट:-
		मारतः में (असम.भेपालयः, अरुणापल प्रदेशः, मिजोरमः, भा <sup>के</sup> पुरः, नागालेण्डः, विपरा विक्रिकाः
		भा <del>गे</del> पुर, नागांलेण्ड, त्रिपुरा,रिकिम, जम्मू एवं कथीर राज्य का लद्दारा डिविजन लागेल
	# 107.7	राज्य का लददारा दिवित्वत क्ये
		एवं हिमाचल प्रदेश के कार्य स्पीति जिला
1		उप-हिंदीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और
		लक्षादीप को छोडकर } प्रत्याधियों से आवेदन-पत्र प्राप्त
	4	करने हेतु आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि
		अनिय तिथि होगी।
7.	क्या विख्ती नीकरी का लाम भी	-1811
	सेवावस्त में चामित होगा ?	
В.	सीधी मर्गा के सिन्ने अपेक्षित शेवानेक	अभिवार्थ:-
1 1	एं। अन्य अस्तिर्थे	[1] मान्यता प्राप्त विष्यविघालय से शिविल इंजीनियरिंग
1 1		म हिमा अथवा समकक्षा
1 1	*	(2) 2 वर्षों का व्याख्सायिक अनुभव।
1 1		टिप्पणी 1:-
	(•)	अन्यवा सुयोग्य अभ्यार्थियों के मामले में अहंतायें सम्म
		अधिकारी के विवेक पर थिथिलनीय होंगी। टिप्पणी 2:
	20.	यदि प्रयान के किसी भी स्वर पर संवाम प्राधिकारी के
		महा में हो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
	12	जन-जाति समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले
1	, ·	अम्यर्थी, उनके लिए आरबित रिक्त पदों को भरने के
		लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामले में
		सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधीन अनुभव सम्बन्धी
		अर्रता / अर्रताओं में छूट दे सकता है।
		ene ana a en e alle alle alle
	सीची भरी के दिल निवारित आनु एवं	-1811
	शैक्षांबिक बोस्कराएं क्या फा)-ार्टी की मामले में भी लागू होंगी	
	परिवीद्या अविध, यदि कोई है।	सीवी भतियाँ तथा पदीन्तियाँ के लिए दो वर्ष ।
11.	मार्ग सिक्ष — क्या अधि मधी द्वारा	75 : पदोन्ति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा
i I	अथवा पदोन्ति दारा अथवा	
	시작했다면 그래요 그 그는 사람이 있다는 것이 되었다면 하는 것이 되었다면 하다 되었다면 뭐 없었다.	25 : सीधी भर्ती द्वारा, जिसके अभाव में
	पानानगरन तामनन होरा तथा	
	प्रतिनियुवित । प्रामेलन दारा तथा विक्रिन विवियों दारा मरी जाने यहने	
	प्रातानयुक्तरप्रामनन द्वारा तथा विक्रिन विक्रियों द्वारा मरी जाने वाले पर्दों का प्रतिकता।	
	विक्नि विकियों द्वारा भरी जाने यहने	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। पदोम्नातः-
	विक्ति विद्या द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भर्ती पदोनाता हारोनिगुनिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा। पदीमारिः- स्वित इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समवुख्य योग्यता
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा। पदोम्नातिः – शिविल इजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रुजने यालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित
	विक्ति विद्या द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भर्ती पदोनाता हारोनिगुनिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीमातिः- शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामवुल्य योग्यता रठाने यालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित कनि. अभियंता (सिथिल) तथा सिविल
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीम्नातिः – शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुस्य योग्यता रठाने वालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित कनि. अमियंता (सिविल) तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीमातिः – शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुल्य योग्यता रठाने यालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किनि. अभियंता [सिथिल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीमाति:- शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुल्य योग्यता रठाने यालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किनि. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी:-
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदी-निर्देशित इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुस्य योग्यता रंजने वालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित कनि. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणी:- जहां वे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आगेलन द्वारा।  पदी-निर्देशिः –  शिविल इंअिनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुस्य योग्यता रठाने वालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किने. अभियंता (सिथिल) तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणीः –  जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आगेलन द्वारा।  पदीमातिः – शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुल्य योग्यता रठाने यालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किने. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणीः – जहां वे किनष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा स्थर्ते
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीनातिः – शिविल इंआनियरिंग भें डिग्री अथवा रामतुल्य योग्यता रठाने यालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किनि. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणीः – जहां वे किनष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथर्ते उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता रोवा अथवा वो वर्ष.
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदीं का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	प्रतिनियुक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीनातिः- शिविल इंआनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रुअने यालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किनि. अमियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणी:- जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथतें उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता शेवा अथवा वो वर्षः दोनों में से जो भी कम है, का अभाव न हो और उनके
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्नियंक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीन्नितं इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रंजने यालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सिदित किने. अभियंता [सिपिल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिलोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणी:—  जहां वे किनष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथर्ते उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता सेवा जाएगा मथर्ते उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता शेवा अथवा वो वर्ष.  दोनों में से जो भी वन्म है, का अभाव न हो और उनके किन्दों जिन्होंने ऐसी अर्दक /पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर सी है के आध-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्नियंक्ति/आमेलन द्वारा।  पदीन्नितं इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रंजने वालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सिदित किने. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणी:—  जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा स्थर्ते उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता सेवा आपवा वो वर्ष. दोनों में से जो भी कम है, का अभाव न हो और उनके कानेश्च जिन्होंने ऐसी अर्दक /पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, के साथ-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्निते हेतु अपनी परिवीशा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण पदोन्निते हेतु अपनी परिवीशा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्नियंक्ति/आमेलन द्वारा।  पदीन्नितं इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा रामतुस्य योग्यता रंजने वालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किने. अमियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणीः—  जहां वे किनष्ठ जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथतें उनकी अपेगित अहंक / पात्रता रोवा आथवा दो वर्ष. दोनों में से जो भी वन्म है, का अभाव न हो और उनके किन्दों फिलाने ऐसी अहंक /पात्रता रोवा पहले ही पूर्ण कर ली है, के साथ-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्निते हेतु अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्निर्देशित/आभेलन द्वारा।  पदीन्निरिःन शिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रंजने वालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किनि. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी:- जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथर्ते उनकी अपेगित अर्द्धा / पात्रता शेवा अथवा वो वर्षः दोनों में शे जो भी कम है, का अभाव न हो और उनके किनिष्ठ जिन्होंने ऐसी अर्द्धक /पात्रता शेवा पहले ही पुर्ण कर ली है, के साथ-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित हेनु अपनी परिवीधा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्नियंक्ति/आभेलन द्वारा।  पदीन्नितं इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रंजने वालों के मामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित किने. अमियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा।  टिप्पणी:—  जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है यहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथतें उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता सेवा पाएगा मथतें उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता सेवा जाएगा मथतें उनकी अपेगित अर्थक / पात्रता सेवा पहले ही पुर्ण कर ली है, के साथ-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नितं हेतु अपनी परिवीवाा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।  प्रतिनियुवित / आमेल्लः—
	विक्ति विक्रियों द्वारा भरी जाने वाले पदों का प्रतिकता। बदि भरी पदो—क्षि काक्षीनेनुमिता। आमेलन द्वारा की जानी है तो बेरानमान जिससे पदो—कि ! प्रतिनियुभिताऽपामेलन	पदीन्निर्देशित/आभेलन द्वारा।  पदीन्निरिःन शिविल इंजीनियरिंग भें डिग्री अथवा समतुस्य योग्यता रठाने वालों के भामले में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सिहत किनि. अभियंता [सिविल] तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिंग्लोमाघारी के मामले में ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी:- जहां वे किनिष्ठ जिन्होंने अपनी अईक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर पदोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा मथर्ते उनकी अपेगित अर्द्धा / पात्रता सेवा अथवा दो वर्षः दोनों में से जो भी कम है, का अभाव न हो और उनके किनिष्ठें जिन्होंने ऐसी अर्द्धक /पात्रता सेवा पहले ही पुर्ण कर ली है, के साथ-साथ उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित हेतु अपनी परिवीधा अविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

(2) इस नियुवित के पथ्यात् रहें. 5500-9000 के वेतनमान में अथवा पेतृक संवर्ग / विभाग में समसुख्य वेतनमान में नियमित आधार पर की गई तीन वर्ष की सेवा सहितय अथवा

[3] इससे नियुक्ति के पथ्यात् 5000-8000 रू. के वेतनमान अथवा पेतृक सर्वर्ग / विभाग में समान वेतनमान में नियमित आधार पर, सर्वर्ग में छः वर्ष की रोव सित तथा

(क) कोलग सं. ८ के अन्तर्गत सीवी भती स्तु निर्धारित वैक्षणिक योग्यतार्थ तथा अनुभव रक्षणे वाले. इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले, पदोन्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने योग्य नहीं होंगें । केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संस्थान / विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व अधिमोगित किसी अन्य संस्थान किसी अन्य संदर्भ-चाह्य पद में प्रतिनियुक्ति –अनिश सामान्य रूप ते तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हो अधिकश्चम् आयु – सीमा , आवेदन प्राप्ति की तिथि की समाचित्र पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

गुजना १४.प.स. (वदी-तीत /स्थायीकरण हेतु):-१. अति. आयुक्त, प्र. (स्र), (देशा.नि. - अध्यक्ष

निगम अभि एवं प्रमुख अभि , दि.न.वि — सदस्य

 निदेशक (कार्मिक), दि.च.नि. - सदस्य इन नियमों के किसी भी प्राविधान में संथोधन/ छूट हेतु ए.लो. से आ. से परानर्थ आवस्यकः।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराण्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

> > ओ॰ पी॰ कलकर, प्रधान सचिव.

#### DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

#### NOTHECATION

Dellu, the 1st July, 2004

No. 19(4)/2004/UD/MCD/4506.— The following Recruitment Regulations made by the Municipal Corporation of Delhi under section 98 of the Delhi Municipal Corporation Act,1957 (66 of 1957) vide Resolution No. 671 dated the 12th January. 2004 in connection with the Recruitment Regulations for the post of Assistant Engineer (Civil). Municipal Corporation of Delhi having been approved by the Lt.Governor of the National Capital of Delhi, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 480 of the said Act, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.3/6/66 Delhi dated the 19th October 1966 are hereby published in the Schedule annexed hereby.

- 1. Short title and commencement:- (1) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Assistant Engineer (Civil), Municipal Corporation of Delhi, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay:- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc:- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
- 4. Disqualification:- Any person-
- (a) who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person; shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Municipal Corporation of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 5. Power to relax:- Where the Municipal Corporation of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:- Nothing in these regulations shall affect reservation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 7. Repeal:- This Government's Notification No. F. 9/37/78-LSG dated the 21st August, 1979 with respect to the Recruitment Regulations for the post of Assisnat Engineer (Civil), Municipal Corporation of Delhi stands superseded from the date of this notification.

#### SCHEDULED

Recruitment Regulations for the post of Assistant Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in the Municipal Corporation of Delhi.

SL. NO	COLLINAN	PROPOSED RECRUITMENT REGULATIONS
1	Name of post.	Assistant Engineer (Civil)
2	No. of post	260 (2003)* subject to variation dependent on workload.
3	Classification	Category 'B'
4	Scale of Pay	Hs. 6500-200-10500/-
5	Whether selection or non-selection post.	Selection.
6	Age Limit for Direct Recruits.	Not exceeding 30 years.  Note: Relaxable for Government servants and employees of MCD upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in links and not the closing date prescribed for those in Assam, Menhalaya, Arunachal Pradesh, Nizoram, Manipur,

2030 10 9 2004 - 2

76	DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERR	MORY GOVT. : JULY 1, 2004/ASADMA 10, 1740
		Hagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshoweep.
7	Whether benefit of added years of service admissible.	No.
8	Educational and other qualification required for direct recruits.	(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.  (ii) Two years professional experience.  Note 1:-  Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.
		Note 2:- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Intest, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not takely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
9.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	No.
10	Period of probation, if any.	2 years for direct recruits and promotees.
11	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or 'y deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various method.	75% promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation/absorption. 25% direct recruitment failing which by deputation/absorption.
12	In case of requitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion / deputation / absorption to	Promotion:- Junior Engineer (Civil) with six years regular service in the grade in the case of those possessing degree in Civil
		Engineering and eight years regular service in the grade in case of those possessing a diploma in Civil Engineering.  **Hote:-  **There juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. KELKAR, Principal Secy.

#### NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 1979

N. F.9/37/78-LSG—The following regulations made by the Municipal Corporation of Delhi under Section 93 of the M.C.D. Act, 1957 vide their Resolution No. 317, dated 12-7-1978, in connection with the recruitment for the post of (i) Asstt. Engineer (Civil); (ii) Asstt. Engineer (Elect.) Municipal Corporation of Delhi, having been approved by the Lt. Governor, Delhi in pursuance of the provisions of Sub-Section (2) of Section 480 of the said Act, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 3/6/66-Delhi, dated 19-10-1966, are hereby published in the schedule below:-

#### SCHEDULE

Recruitment Regulations for the post of (i) Asstt. Engineer (Civil) (li) Asstt. Engineer (Elect.)

1. Name of the post:

2. No. of posts:

3. Classification:

4. Scale:

5. Whether selection post or non-selection post:

6. Age limit for direct recruit:

7. Educational and other qualifications required for direct recruits:

8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion:

9. Period of probation, if any:

10. Method of rectt, whether by direct recruitment or by promotions/or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods:

11. In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made:

12. If a D.P.C. exists, what is its composition:

13. Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.:

Asstt. Engineer (Civil).

81.

Class-II.

Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-

Selection

Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants and the employees of the M.C.D.)

Essential:

(i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent;

(ii) 2 years professional experience.

E.Q.-Yes, to the extent indicated in Col. 11.

2 years.

50% by promotions, failing which by direct recruitment and failing both by transfer on deputatou transfer and 50% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation/transfer.

Promotion:

Jr. Engineer (Civil) with 3 years regular service in th grade in the case of those possessing a degree i Civil Engineering or equivalent qualification and 3 years' regular service in the grade in the case of those possessing a Diploma in Civil Engineering.

Transfer on deputation/transfer:

Officers holding analogous posts in the Central State Government Engineering Cadres.

(Periof of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

D.P.C. will be constituted as per rules.

Consultation not necessary unless it is intended to relax, at any time, the promotions of the recruitment rules.